भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2275

08 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: औषधीय खेती को प्रोत्साहित करने हेतु योजनाएं

2275 श्री बंशीलाल गुर्जर:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा किसानों को औषधीय पौधों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं; और

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत विगत वर्षों के दौरान किन-किन कार्यों का निष्पादन किया गया है और उनका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): वर्तमान में, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन" पर केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियों का समर्थन किया जाता है:

(i) सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी) संबंधी गतिविधियाँ प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ/सेमिनार/ सम्मेलन आदि जैसी।

(ii) औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज (एकीकृत घटक) जिसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को सहयोग दिया जाता है:

- औषधीय पौधों की खेती के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर।
- किसानों को जागरूक करने के लिए सूचना शिक्षा संप्रेषण (आईईसी) संबंधी गतिविधियाँ।
- औषधीय पौधों की विपणन क्षमता बढ़ाने, उपज का मूल्य संवर्धन करने, लाभप्रदता बढ़ाने और हानि कम करने के लिए फसलोपरान्त प्रबंधन और विपणन हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर।
- कच्चे माल का गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन।

(iii) इन-सीटू कंजर्वेशन/ एक्स-सीटू कंजर्वेशन।

(iv) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) / पंचायतों / वन पंचायतों / जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) / स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ लाइव्लीहुड लिंकेज।

(v) अनुसंधान एवं विकास।

(vi) औषधीय पौधों के उत्पादन का संवर्धन, विपणन और व्यापार।

एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान देश भर में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 113 संगठनों/संस्थानों को सहायता प्रदान की है और प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशालाएँ आयोजित की हैं, जिसके लिए कुल 869.061 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इसका विवरण क्रमशः **अनुबंध- I और II** में दिए गए हैं।

इससे पहले, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने देश भर में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की "केंद्र प्रायोजित योजना" के अंतर्गत औषधीय पौधों के घटक को कार्यान्वित किया था। इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की गई:

- किसानों की भूमि पर प्राथमिकता वाले औषधीय पौधों की खेती।
- गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की खेती और आपूर्ति के लिए पश्चगामी संपर्कों के साथ नर्सरियों की स्थापना।
- अग्रिम संपर्कों के साथ फसलोपरान्त प्रबंधन।
- प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर आदि।

आयुष मंत्रालय की राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत समर्थित गतिविधियों का विवरण **अनुबंध-**III में दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) भी कार्यान्वित की जा रही है। एमआईडीएच योजना के अंतर्गत, अल्पावधि औषधीय पौधों अर्थात गैर-बारहमासी प्रकृति और गैर-वृक्ष प्रजातियों के क्षेत्र विस्तार के लिए 1.50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की अधिकतम लागत के 40% की दर से 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक आनुपातिक आधार पर सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, ताकि आईएनएम/आईपीएम आदि के लिए रोपण सामग्री और सामग्री की लागत पर व्यय को 60:40 की 2 किस्तों में पूरा किया जा सके। पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, टीएसपी (जनजातीय उपयोजना) क्षेत्रों, वाईब्रेंट विलेज, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह सहित अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में, 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक आनुपातिक आधार पर अधिकतम लागत के 50% की दर से सहायता दी जाएगी।

अनुबंध-I

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक आईईसी गतिविधियों के लिए देश भर में विभिन्न संगठनों को औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत समर्थित परियोजनाओं की संख्या का विवरण।

क्र.सं.	राज्य	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1	1	1	0	**2**	**5**
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	0	**0**	**1**
3	असम	1	3	5	0	**0**	**9**
4	बिहार	0	0	0	0	**0**	**0**
5	छत्तीसगढ़	0	0	1	0	**0**	**1**
6	दिल्ली	2	5	6	0	**3**	**16**
7	गुजरात	0	0	0	0	**0**	**0**
8	हरियाणा	1	0	1	0	**1**	**3**
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	**1**	**2**
10	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	2	**0**	**2**
11	झारखंड	0	0	3	0	**0**	**3**
12	कर्नाटक	0	3	2	0	**3**	**8**
13	केरल	0	0	2	1	**0**	**3**
14	लद्दाख	0	0	2	0	**1**	**3**
15	मध्य प्रदेश	0	0	3	0	**1**	**4**
16	महाराष्ट्र	2	0	2	0	**1**	**5**
17	मणिपुर	0	0	1	0	**0**	**1**
18	मेघालय	1	0	0	0	**1**	**2**
19	मिजोरम	0	0	1	0	**0**	**1**
20	नागालैंड	0	0	0	0	**0**	**0**
21	ओडिशा	2	3	1	1	**0**	**7**
22	पंजाब	1	1	1	0	**1**	**4**
23	राजस्थान	1	0	0	0	**3**	**4**
24	सिक्किम	0	0	0	0	**0**	**0**
25	तमिलनाडु	0	4	7	1	**5**	**17**
26	तेलंगाना	0	0	0	1	**0**	**1**
27	उत्तर प्रदेश	0	2	1	0	**0**	**3**
28	उत्तराखंड	0	0	1	1	**0**	**2**
29	पश्चिम बंगाल	1	1	3	0	**1**	**6**
	कुल	**13**	**23**	**45**	**8**	**24**	**113**

अनुबंध -II

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक आईईसी गतिविधियों के लिए देश भर में विभिन्न संगठनों को औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत जारी फंड का विवरण।

क्र.सं.	राज्य	कुल स्वीकृत फंड (रुपये लाख में)					
		20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	कुल
1	आंध्र प्रदेश	24.00	5.00	5.00	0.00	8.00	42.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	8.00	24.60	91.54	0.00	0.00	124.14
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छतीसगढ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	दिल्ली	18.92	37.26	20.00	0.00	17.00	93.18
7	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	5.00	0.00	1.00	0.00	5.00	11.00
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	37.35	5.00	42.35
10	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
11	झारखंड	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	11.80
12	कर्नाटक	0.00	70.43	10.00	0.00	29.45	109.88
13	केरल	0.00	0.00	10.00	2.00	0.00	12.00
14	लद्दाख	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	15.00
15	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	59.20	0.00	2.00	61.20
16	महाराष्ट्र	44.62	0.00	7.00	0.00	1.00	52.62
17	मणिपुर	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
18	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
19	मिजोरम	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
20	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	ओडिशा	8.00	8.25	2.00	2.00	0.00	20.25
22	पंजाब	5.00	10.00	5.00	0.00	5.00	20.00
23	राजस्थान	3.00	0.00	0.00	0.00	24.85	27.85
24	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	तमिलनाडु	0.00	12.00	31.30	5.00	21.55	69.85
26	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
27	उत्तर प्रदेश	0.00	43.00	14.80	5.00	0.00	62.80
28	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	10.00	10.00	15.00	0.00	24.15	59.15
कुल		**126.54**	**220.54**	**308.64**	**68.35**	**150.00**	**869.06**

अनुबंध-III

आयुष मंत्रालय की राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत समर्थित गतिविधियों का विवरण								
क्र.सं.	**समर्थित गतिविधियाँ**	**15-16**	**16-17**	**17-18**	**18-19**	**19-20**	**20-21**	**कुल**
1	**औषधीय पौधों की खेती (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)**	8722	12109	10366	9958	6794	8356	**56305**
2	**खेती का रखरखाव**	2030	164	163	176	130	10	**2673**
3	**नर्सरी की स्थापना**	32	39	38	38	50	23	**220**
4	**फसलोपरान्त प्रबंधन**	62	48	66	52	99	27	**354**
5	**प्रसंस्करण इकाई**	1	2	3	1	16	2	**25**
6	**ग्रामीण/जिला संग्रहण केंद्र/खुदरा दुकान**	0	11	9	17	2	3	**42**
7	**बीज जर्मप्लाज्म केंद्र**	0	3	5	0	1	1	**10**
8	**प्रदर्शन प्लॉट**	0	2	2	2	6	3	**15**
9	**किसानों की संख्या**	17802	13809	8011	10880	10906	1235	**62643**
10	**समर्थित क्लस्टर**	686	444	509	525	520	0	**2684**
